अमन समीर, भा0प्र0से0 जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा दिनांक 06.10.2020 को निर्वाचन से संबंधित दिये गये महत्त्वपूर्ण निर्देशः–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिये गये :–

1. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को नाम–निर्देशन, आर्दश आचार संहिता के उल्लंघन, स्वीप कार्यक्रम, वोटर हेल्प लाईन 1950, सी–विजिल, कन्ट्रोल रूम, कोविड जाँच कोविड के संदर्भ में मतदान केन्द्र पर उपलब्ध सुविधा, एस0 एस0 टी0 / एफ0 एस0 टी एवं पुलिस बल के द्वारा जप्ती इत्यादि के संबंध में प्रतिदिन प्रेस विज्ञप्ति जारी कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रकाशित प्रेस–विज्ञाप्ति का पेपर कटिंग अभिलेख के तौर पर संधारित करने का निदेश दिया गया।

(अनु0ः–जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी)

2. पोस्टल बैलेट कोषांग के नोडल पदाधिकारी PwD एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर की पहचान सुनिश्चित कराने हेतु बी0 एल0 ओ0 पंजी संधारित कराकर उसमें मार्क कराने हेतु सभी निर्वाची पदाधिकारी / सहायक निर्वाची पदाधिकारी को निदेशित करेंगे और इस संबंध में कल तक प्रतिवेदन प्राप्त कर लेंगे। सभी बी0 एल0 ओ0 को दूरभाष के माध्यम से भी PwD एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर का पंजी में मार्क कराने हेतु निदेशित करेंगे। अवगत कराया गया कि पंजी की रैण्डम समीक्षा अधोहस्ताक्षरी स्तर से भी की जायेगी। नोडल पदाधिकारी, बैलेट पेपर कोषांग सभी निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी से इस संदर्भ में आज अपराह्न 04:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा कर आवश्यक निदेश देंगे।

(अनु0ः– नोडल पदाधिकारी, पोस्टल बैलेट कोषांग)

3. स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी को स्वीप के सभी कार्यक्रमों में कोविड के संदर्भ में मतदान केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं एवं सी–विजिल एप के संबंध में प्रचार–प्रसार कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0ः–नोडल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग)

4. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रेस नोट जारी होने के बाद आर्दश आचार संहिता के मामलें में अपेक्षित कार्रवाई नही हुई है। नोडल पदाधिकारी, आर्दश आचार संहिता कोषांग BDO/CO/SST/FST/SHO से नियमित तौर पर वार्ता कर MCC के संदर्भ में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

(अनु0ः– नोडल पदाधिकारी, आर्दश आचार संहिता कोषांग)

5. उप निर्वाचन पदाधिकारी सभी सेक्टर पदाधिकारियों को अपने सेक्टर क्षेत्र में उपर्युक्त स्थल चिन्हित कर वहाँ वोटर हेल्पलाईन नं0 1950 को अंकित कराने के संदर्भ में आज ही आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0ः–उप निर्वाचन पदाधिकारी)

6. उप निर्वाचन पदाधिकारी को सभी विधान सभा क्षेत्र में VST हेतु चार शिफ्ट में तीन कर्मियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित आदेश आज ही निर्गत कराने का निदेश दिया गया। साथ ही आयोग द्वारा कल आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के संदर्भ में सभी बिन्दुओं पर अद्यतन प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0ः– उप निर्वाचन पदाधिकारी)

7. उप निर्वाचन पदाधिकारी को सभी निर्वाची पदाधिकारी से मतदान केन्द्रों पर AMF के सुविधाओं के संदर्भ में दिनांक 10.10.2020 तक शपथ–पत्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(अनु0ः– ः– उप निर्वाचन पदाधिकारी)

8. नोडल पदाधिकारी विधि–व्यवस्था कोषांग को Vulnerabe Mapping की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0ः– नोडल पदाधिकारी, विधि–व्यवस्था कोषांग)

6/10/20

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–
जिला पदाधिकारी, बक्सर।

ज्ञापांकः–10.3655/गो0, दिनांक 06.10.2020

प्रतिलिपिः– सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– उप निर्वाचन पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/10/20

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–
जिला पदाधिकारी, बक्सर।